

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-budgethodpwd@gmail.com

पत्रांक:- 1215 / 78 बजट (एस0डी0आर0एफ0)/2017-18
सेवा में,

दिनांक:- 10/11/2017

मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय लो0नि0वि0,
नई टिहरी/पौड़ी।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-06, लेखाशीर्षक-2245 राज्य आपदा मोचन निधि से प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय/सार्वजनिक परिसम्पतियों की तात्कालिक मरम्मत हेतु आवंटन।

सन्दर्भ:- शासनादेश संख्या 1808/XVIII-(2)/17-12(4)/2013 टी0सी0 दिनांक 18.08.2017

उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-06, लेखाशीर्षक 224505101020042 (राजस्व) राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) मद में ₹ 25.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है, योजनान्तर्गत शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष फील्ड अधिकारियों द्वारा सूचित धनावंटन की माँग के क्रम में वित्तीय वर्ष 2017-18 में सम्बन्धित कार्यदायी खण्डों को संलग्न विवरणानुसार कार्यवार/खण्डवार कुल ₹ 51.52. लाख (₹ इक्यावन लाख बावन हजार मात्र) की धनराशि निम्नानुसार इंगित शर्तों के अन्तर्गत आवंटित की जाती है।

आवंटन की शर्त:-(1) राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) के अन्तर्गत केवल वित्तीय वर्ष 2017-18 के मानसून अवधि में प्राकृतिक आपदा तथा भारी वर्षा व भूस्खलन से क्षतिग्रस्त ऐसे मरम्मत एवं पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यों को ही चयनित/सम्पादित किया जायेगा, जो कि इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किये जा सकें तथा भारत सरकार द्वारा विभागवार निर्धारित तात्कालिक प्रवृत्ति की कार्यों की श्रेणी में आते हों तथा एस0डी0आर0एफ0 के मानको सम्बन्धी भारत सरकार के दिशा-निर्देश दिनांक 08.04.2015 की शर्तों को पूर्ण करते हों। विगत वित्तीय वर्ष के क्षतिग्रस्त कार्यों तथा सामान्य क्षतियों को इस योजना के अन्तर्गत किसी भी व्हा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(2) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं/अधीक्षण अभियन्ताओं/मुख्य अभियन्ताओं द्वारा चयनित कार्यवार माँग के आधार पर संलग्न सूचीनुसार धनराशि आवंटित की गई है, अतः आवंटित धनराशि का उपयोग सूची में सम्मिलित कार्यों पर ही कार्यवार आवंटन की सीमान्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा, किसी भी व्हा में आवंटित धनराशि अन्य कार्यों/योजनाओं में व्यय नहीं की जायेगी।

(3) संलग्न विवरणानुसार चयनित कार्य सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा एस0डी0आर0एफ0 मद के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के चयनित कार्यों में से 5 % कार्यों का स्वविवेकानुसार (Randomly) चयन करते हुये Third Party जाँच करायी जायेगी व आख्या शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

(4) एस0डी0आर0एफ0 के अन्तर्गत चयनित एवं प्रस्तावित कार्यों की दोनो स्टेजों में अर्थात् कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अनिवार्यतः फोटोग्राफी एवं यथासंभव वीडियोग्राफी भी सुनिश्चित की जायेगी व आख्या सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

(5) संलग्न विवरणानुसार चयनित कार्यों को कराये जाने से पूर्व एस0डी0आर0एफ0 सम्बन्धी दिशा-निर्देश तथा समस्त मानको का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के साथ-साथ आवश्यक वित्तीय एवं तकनीकी औपचारिकतायें भी पूर्ण की जायेंगी, तथा सक्षम स्तर का अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया जायेगा।

(6) इस योजना में आवंटित धनराशि का व्यय, एस0डी0आर0एफ0 के मानको के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पतियों के तात्कालिक मरम्मत हेतु सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय की गई धनराशि का कार्यवार उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2018 से पूर्व इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने के साथ-साथ शासन को भी अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना होगा।

(7) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(8) उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 18.08.2017 एवं इस कार्यालय के प्रेषित पत्र दिनांक 22.08.2017 एवं दिनक 9.11.2017 में निहित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा योजनान्तर्गत खण्डवार आवंटित धनराशि का उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-06 लेखाशीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत 05-राज्य आपदा मोचन निधि (90 % केन्द्र पोषित) 101-आरक्षित निधियों एवं जमा लेखों में अन्तरण एस.डी.आर.एफ. 02-आपदा राहत निधि से व्यय 0042-अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

संलग्न-कार्यवार/खण्डवार आवंटन सूची (4 पृष्ठ)

प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार भवन, पो0ओ0-सब पोस्ट मास्टर, पेट्रोलियम संस्थान कौलागढ़ देहरादून।
- (2) अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- (3) वित्त नियंत्रक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, (विभागाध्यक्ष) लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड। साख-सीमा जारी करने हेतु।
- (4) सम्बन्धित समस्त अधीक्षण अभियन्ता, वृत्त लोक निर्माण विभाग।
- (5) सम्बन्धित समस्त अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग।

संलग्न-कार्यवार/खण्डवार आवंटन सूची (..... पृष्ठ)

प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

क स0	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	कार्य की लंबाई (कि0मी0)	वित्तीय वर्ष 2017-18 में आव0
1	2	3	4	5	6
1	टिहरी	नि0 खण्ड, नरेन्द्रनगर	S.D.R.F वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत जनपद टिहरी विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में नाई सिलखडी मठियाली मोटर मार्ग के किमी0 7.00 से किमी0 11.00 के मध्य दीवारों का निर्माण	4.00	7.75
2	टिहरी	नि0 खण्ड, नरेन्द्रनगर	S.D.R.F वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत भरपुर -गजा मोटर मार्ग के किमी0 10.00 एवं 11.00 में क्षतिग्रस्त दीवारों का पुनः निर्माण कार्य।	2.00	3.57
3	टिहरी	नि0 खण्ड, नरेन्द्रनगर	S.D.R.F वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत जनपद टिहरी विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में पौडी-गजा -देवप्रयाग राज्य मार्ग स0-31 के किमी0 52.00 से किमी0 62.00 के मध्य भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त दीवारों का पुनः निर्माण कार्य।	6.00	9.24
4	टिहरी	नि0 खण्ड, नरेन्द्रनगर	S.D.R.F वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत जनपद टिहरी विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में पौडी-गजा -देवप्रयाग राज्य मार्ग स0-31 के किमी0 75.00, किमी0 78.00 एवं किमी0 71.00 में भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त दीवारों का पुनः निर्माण कार्य।	3.00	2.41
5	टिहरी	नि0 खण्ड, नरेन्द्रनगर	S.D.R.F वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत जनपद टिहरी विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में पौडी-गजा -देवप्रयाग राज्य मार्ग स0-31 के किमी0 102.00 से किमी0 112.00 के मध्य क्षतिग्रस्त दीवारों का पुनः निर्माण कार्य।	4.00	9.28
6	टिहरी	नि0 खण्ड, नरेन्द्रनगर	S.D.R.F वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत भरपुर -टौल -बौठ मोटर मार्ग के किमी0 01.00 से किमी0 07.00 में क्षतिग्रस्त दीवारों का पुनः निर्माण कार्य।	9.00	5.33
कुल योग :- जनपद टिहरी				28.00	37.58
1	पौडी	नि0 खण्ड, पारबों	वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त चंगीन -कुचौली कुठखाल मोटर मार्ग के पुननिर्माण राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) के अन्तर्गत किमी0 02.00 से किमी0 09.00 में क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण कार्य।	4.00	7.09
2	पौडी	नि0 खण्ड, पारबों	राज्य आपदा मोचन निधि वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत पारबों-सन्तुधार-नौगावखाल -चौबट्टाखाल-चौरीखाल मोटर मार्ग के किमी0 01.00 में क्षतिग्रस्त दीवार का पुननिर्माण कार्य।	2.00	3.43
3	पौडी	नि0 खण्ड, पारबों	राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त नौगावखाल-सुरखेत-तुनाखाल मोटर मार्ग के किमी0 08.00 व किमी0 14.00 में क्षतिग्रस्त दीवार का पुननिर्माण कार्य।	2.00	3.42
कुल योग :- जनपद पौडी				8.00	13.94
कुल योग				36.00	51.52

1.T
upload on
14.11.17

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

10/11/2017